

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/नरेगा/एमआईएस/56000/14-15

जयपुर, दिनांक : 22/5/15

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
अजमेर, बांसवाडा, बांरा, बाडमेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ़, चूरु,  
डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, जोधपुर, करौली, कोटा,  
नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर। प्रतापगढ़

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के संबन्ध में।

संदर्भ:- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र दिनांक 11.05.2015

नोट:- (DISCUSSED ON TODAY'S VC AS WELL)


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत चरणबद्ध रूप से मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने का निर्णय किया गया था। जिसके अनुरूप विभाग द्वारा आवश्यक device के क्रय आपके स्तर से किये जाने हेतु निर्देश जारी कर नियत तिथि तक मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किये जाने का आग्रह किया गया। परन्तु आदिनांक तक बांसवाडा जिले में 1, भीलवाडा जिले में 19, जयपुर जिले में 2 तथा जोधपुर जिले में 2 device का रजिस्ट्रेशन ही किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.05.2015 को जारी निर्देशों (प्रति संलग्न) के अनुरूप दिनांक 30.05.2015 तक device का पंजीकरण नरेगा सॉफ्ट पर किया जाना अनिवार्य है। यदि उक्त तिथि तक device का पंजीकरण नरेगा सॉफ्ट पर नहीं किया जाता है तो स्वीकृत राशि निरस्त कर दी जायेगी।

इस संबन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30.05.2015 तक device का क्रय किया जाकर इसका पंजीकरण नरेगा सॉफ्ट पर आवश्यक रूप से कर दिया जावे। पंजीकरण नहीं किये जाने की स्थिति में संबन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इस संबन्ध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2015 को आयोजित की गयी वी.सी. में भी निर्देशित किया जा चुका है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय  
  
(रोहित कुमार)  
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. आयुक्त, ईजीएस।

4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर, बांसवाडा, बांरा, बाडमेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, चूरु, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर। प्रतापगढ
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, बाडमेर।
6. रक्षित पत्रावली।

५३  
परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस



D. No. 3245 PS/RD&PR/201  
Date 18 MAY 2015

No. K-11011/2/2008-NREGA(Mon)TS-NREGASoft(Pt-II)(325296)

Government of India  
Ministry of Rural Development  
(Mahatma Gandhi NREGA Division)

Krishi Bhavan, New Delhi  
Dated: 11<sup>th</sup> May, 2015

To

Principal Secretary (In-Charge of MGNREGA)  
Rural Development & Panchayat Raj  
Government of Rajasthan  
Room No.5213, Secretariat,  
JAIPUR - 302005.

Handwritten initials and date: 18/5/15

Sub: MGNREGS -Reminder to expedite implementation of the Mobile Monitoring System (MMS)- Regarding.

Sir/Madam,

As you may be aware that MoRD has sanctioned a MMS project vide letter dated 15th January, 2015 for providing mobile interface to the NREGASoft. In this regard, your state has been allocated total 883 number of Tablet/ mobile devices.

2. In order to procure the devices MoRD has sanctioned a total amount of Rupees 88 Lakh only to your state. Out of this 50.00 % funds (Rupees 44 Lakh only) have been released vide release order No K-11011/2/2008-MGNREGA/TS-NREGASoft dated 31st March, 2014 and vide letter No. K-11011/2/2008-MGNREGA/TS.NREGASoft (Pt-II) dated 21st January, 2015.

Handwritten note: progress -

3. To operationalize MMS in the identified locations all the devices procured must immediately be registered in NREGASoft. However, as per the MIS report (R21.1 Gram Panchayat Identified for MMS) dated 8th May 2015, out of total 883 Tablet/ mobile devices only 30 devices have been registered in NREGASoft.

Handwritten scribble

4. Since all the devices have not been procured and registered into the NREGASoft. State may take into notice that in case if this is not completed by 30<sup>th</sup> May, 2015 the amount sanctioned will be cancelled and reallocated to other states willing to initiate MMS or extend it to other locations. However, in case of any technical issue in operationalizing the MMS you may write to Sh. Ritesh Saxena at ritesh\_saxena123@yahoo.com.

Handwritten note: 19/05/15

Yours faithfully,

Handwritten note: Pl. write to concerned. Also discuss this in VC

(R Subrahmanyam)  
Joint Secretary (MGNREGA)  
Telefax: 23385027

Handwritten signature and date: 21/5